न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 01/2022 जिला–नागौर

रूपाराम पुत्र अर्जुनराम उम्र 22 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम दुजासर तहसील खींवसर जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।
2. हल्का पटवारी माडपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर।
3. धपू देवी पुत्री अर्जुनराम उम्र 24 वर्ष
4. मोनिका पुत्री अर्जुनराम उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता हरूदेवी
5. सरिता पुत्री अर्जुनराम उम्र 19 वर्ष
6. हरूदेवी पत्नी अर्जुनराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दुजासर तहसील खींवसर जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) खींवसर
दिनांक 30–07–2021
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 299/2021
बउनवान सरकार बनाम ग्राम पंचायत माडपुरा

––––

उपस्थित– 1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 07–09–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, खीवसर द्वारा ग्राम दुजासर पटवार हल्का माडपुरा के खसरा नम्बर 314 से 289 में से कदीमी रास्ता होना अंकित कउते हुए धारा 131, 132, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, खींवसर के समक्ष रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण की रेकार्डेड खातेदारी के खेत मूल खसरा नम्बर 287 हाल नम्बर 2038/287 एवं 2039/287 है जिस पर कोई रास्ता

चालू नहीं है तथा नक्शा देखने मात्र से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने हेतु रास्ता खातेदारी खेत में से दिया गया है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी एवं अन्य खतेदारान को पक्षकार बनाए बिना तथा खातेदारो को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा कार्यवाही करते हुए रास्ता दर्ज करवाने के आदेश दिनांक 30–7–2021 पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2021 की जानकारी नही थी क्योंकि उक्त आदेश अपीलार्थी को पक्षकार बनाए बिना, बिना सुने एवं बिना सूचना दिये पारित किया है। अपीलार्थी को जब दिनांक 1–1–2022 को कुछ भू–माफियाओं द्वारा जबरन बेदखल करने का प्रयास किया गया तब अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी हुई। इस पर अपीलार्थी ने उक्त आदेश की नकल का आवेदन दिनांक 10–1–2022 को प्रस्तत किया जिस पर दिनांक 15–1–2022 को नकल प्राप्त होने पर अभिभाषक से सम्पर्क कर दिनांक 18–1–2022 को जानकारी दिनांक से अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि पत्रावली के साथ प्रस्तुत नक्शे में अपीलार्थी की खातदारी के खेत में से त्रुटिपूर्ण रास्ता दर्ज कर दिय गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलार्थी के हक अधिकार प्रभावित होने से अपीलार्थी पीड़ित पक्षकार है। उपरोक्त तर्को से अपीलर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—7—2021 से प्रभावित होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलार्थी की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या—1 के राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजियात में से कदीमी रास्ता वर्षो पूर्व से निकल रहा है। जिस पर ग्रामवासी का आवागमन होता है। ग्रामवासियों की सुविधाओं को ध्यान मे रखते हुए एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उभय पक्षों की धारा—96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलान्ट का धारा—96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य—मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के मौका प्रस्ताव के आधार पर ही रास्ता स्वीकृत कर दिया जबकि प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी जो कि प्रभावित खातेदार है, को पक्षकार बनाकर सुनवाई कर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132, 136 के तहत रास्ते दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10—98—2016 के विपरीत है अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा न ही कोई विधिक प्रक्रिया की पालना की गई है मात्र प्रशासनिक आदेश पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में यदि नक्शा ट्रेस एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया जाये तो उक्त रास्ता मात्र व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की गरज से उसक खेत तक प्रदान किया गया है जो रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शे से सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—7—2021 को दर्ज रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है फिर भी मौके पर चालू रस्ता नहीं होने के बावजूद रास्ता दर्ज कर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—7—2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत को भी पक्षकार नहीं बनाया है। पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू होना बताया है। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में रास्ते का अंकन करने का आदेश पारित किया है जो उचित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–07–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, खींवसर द्वारा गाम पंचायत माडपुरा के ग्राम दुजासर तहसील खींवसर के खसरा नम्बर 314 से 289 एव खसरा संख्या 287 हाल खसरा नम्बर 2038/287, 2039/287 जिसमें कदीमी रास्ता होना अंकित करते हुए धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–राजस्व अभिलख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा स्वीकार कर चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस भूमि में से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है उसमें अपीलार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 287 जिसके हाल खसरा नम्बर 2038/287, 2039/287 है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात में से रास्ता दर्ज करने से पूर्व रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को पक्षकार बनाकर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई उक्त आदेश साईक्लोस्टाईल टाईप छपा प्रपत्रनुमा मात्र है जिसमें खाली कॉलम में हाथ से खसरा नम्बरान का अंकन किया गया है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी कॉलमनुमा प्रपत्र टाईप है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30–7–2021 में किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर किये हुए नही है। नियमों में प्रावधान है कि किसी भी खातेदार की भूमि मे से रास्ता दर्ज करने हेतु रेकार्डेड खातेदार एवं पड़ौसी खातदारों को विधिवत पक्षकार बनाकर व नोटिस जारी कर साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल तहसीलदार, खींवसर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ ग्रामवासियों द्वारा रास्ता दर्ज करने हेतु कोई सामुहिक पत्र भी संलग्न नहीं है एवं न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई सहमति पत्र ही संलग्न है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित

करने से पूर्व कोई विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं किये जाने के कारण पारित आदेश त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), खींवसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—7—2021 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 299/2021 बउनवान सरकार बनाम ग्राम पंचायत माडपुरा त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, खीवसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 287 हाल खसरा नम्बर 2038/287, 2039/287 से लगते हुए पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार बनाकर उनकी विधिवत सुनवाई कर अपीलार्थी को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो का भंलीभांति अवलोकन व अध्ययन कर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 07—09—2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर